क्रम-संख्या–37

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 3 मार्च, 2022 ई0
(फाल्गुन 12, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 22553/दस-लाइसेंस-58/देशी शराब-थोक नियमावली/2021-2022

प्रयागराज, दिनांक : 03 मार्च, 2022 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि–13

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 31276/दस-लाइसेंस-58/2002-2003, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2021

1–संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–नियम 2 का संशोधन–उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2–परिभाषायें–	2–परिभाषायें–
(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–	(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–
(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;	(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
(ख) "देशी शराब" ऐसी अल्कोहलीय सान्द्रता वाली तनु या तीव्र देशी स्प्रिट भी सम्मिलित है, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय;	(ख) "देशी शराब" ऐसी अल्कोहलीय सान्द्रता वाली तनु या तीव्र देशी स्प्रिट और उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0) भी सम्मिलित है, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय;
(ग) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;	(ग) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्टर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;
(घ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) से है और इसमें आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं;	(घ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) से है और इसमें आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं;
(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;	(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;
(च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है;	(च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है;
(छ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय;	(छ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन देशी शराब के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय;
(ज) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो आबकारी आयुक्त के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी;	(ज) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो आबकारी आयुक्त के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी;
परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;	परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(झ) निकाल दिया गया।	(झ) निकाल दिया गया।
(ञ) "भागीदारी फर्म" का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म से है;	(ञ) "भागीदारी फर्म" का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म से है;
(ट) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय अन्यून इक्कीस वर्ष की आयु का भारत का नागरिक हो;	(ट) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय अन्यून इक्कीस वर्ष की आयु का भारत का नागरिक हो;
(ठ) "कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है;	(ठ) "कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है;
(ड) निकाल दिया गया है।	(ड) निकाल दिया गया है।
(ढ) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी शराब के आप्टिमम रिटेल प्राइस को पांच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है जो, आसवनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक आपूर्तक से एक्स डिस्टलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तक द्वारा देशी शराब के फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम् थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;	(ढ) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य को पांच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है जो, आसवनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक पूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक पूर्तिकर्ता द्वारा देशी शराब के फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम् थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;
(ण) "पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहत प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;	(ण) "पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहत प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;
(त) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है;	(त) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है;
(थ) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब के आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।	(थ) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब के आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।
	(द) "उत्तर प्रदेश निर्मित शराब (यू0पी0एम0एल0) ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्प्रिट सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।

सेंथिल पांडियन सी0,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 22553/X-License-58/Country Liquor Wholesale Rules 2021-2022

Prayagraj, dated: March 3, 2022

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24 and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no-IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenes for wholesale of Country Liquor) Rules,2002 published *vide* Excise Commissioner notification no. 31276/X-Licence-58/2002-2003, dated March 26, 2002.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR WHOLESALE OF COUNTRY LIQUOR) (FOURTEENTH AMENDMENT) RULES, 2021

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Wholesale of Country Liquor) (Fourteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette.

2. Amendment of Rule 2–In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Wholesale of Country Liquor) Rules, 2002 hereinafter referred to as the said rules, for rule-2 setout in Column I below, the rule as setout in Column II shall be substituted, namely:

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
2. Definitions–	**2. Definitions–**
In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context–	In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context–
(a) ''Act'' means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;	(a) ''Act'' means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;
(b) "country liquor" includes country spirit "mild" or "strong" Extra Neutral Alcohol having such alcoholic strengths as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government, from time to time;	(b) "Country Liquor" includes country spirit "mild" or "strong" manufactured from Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time and U.P. Made Liquor (U.P.M.L.).
(c) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;	(c) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;
(d) "family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;	(d) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;
(e) "form" means the form appended to these Rules;	(e) "Form" means the form appended to these Rules;

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(f) "Licensing Authority" means the Excise Commissioner;	(f) "Licensing Authority" means the Excise Commissioner;
(g) "Licence Fee" means the consideration of grant of licence for exclusive privilege of whole sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the Licensee before the licence is granted to him, on such rates as notified by the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government.	(g) "Licence Fee" means the consideration of grant of licence for exclusive privilege of whole sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the Licensee before the licence is granted to him, on such rates as notified by the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government.
(h) "Security Amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government. Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate shall be acceptable till it not is refunded.	(h) "Security Amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government. Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate shall be acceptable till it not is refunded.
(i) omitted	(i) omitted
(j) 'Partnership Firms' means a Firm registered under Partnership Act, 1932.	(j) 'Partnership Firms' means a Firm registered under Partnership Act, 1932.
(k) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application for the grant of licence.	(k) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application for the grant of licence.
(l)'Company' means a Company registered under the Companies Act, 2013.	(l)'Company' means a Company registered under the Companies Act, 2013.
(m) omitted	(m) omitted
(n) ''Additional Consideration Fee''means an amount determined by rounding off optimum retail price of country liquor to the next higher denomination of Rs. five and payable at distillery level. Additional consideration fee shall be chargeable by the Distillery from the wholesale supplier in addition to ex-distillery price and which, in turn, shall be chargeable in addition to wholesale price by the wholesale supplier from the retail licensee of country liquor.	(n) ''Additional Consideration Fee''means an amount determined by rounding off optimum retail price of country liquorto the next higher denomination of Rs. five and payable at distillery level. Additional consideration fee shall be chargeable by the Distillery from the wholesale supplier in addition to ex-distillery price and which, in turn,shall be chargeable in addition to wholesale price by the wholesale supplier from the retail licensee of country liquor.

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(o) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the stage of its distribution.	(o) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the stage of its distribution.
(p) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of wholesale licence.	(p) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of wholesale licence.
(q) "Consideration fee" means a fee fixed per liter by the State Government under Section 30 of the Act according to the strength of the country liquor, to be deposited in the Government Treasury by the licensee before supply of country liquor.	(q) "Consideration fee" means a fee fixed per liter by the State Government under Section 30 of the Act according to the strength of the country liquorto be deposited in the Government Treasury by the licensee before supply of country liquor.
	(r) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" includes country spirit manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA)having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.

SENTHIL PANDIAN C.,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0—32 असाधारण गज़ट—04-03-2022—127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।